ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,बरही (हजारीबाग)

विविध वाद संख्या 65 / 15

राज्य बनाम अध्यक्ष ,सचिव नव भारत जागृति केन्द्र ,बेहरा

तारीख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
14-06-17	प्रतिवादी मो0 सिकन्दर नवाज खान ,चौपारण के द्वारा निबंधित डाक द्वारा आवेदन दिया गया कि खाता नं0 29 के प्लौट नं0 1331 में रकवा 0.40 ए0 प्लौट नं0 1341 रकवा 12..30 ए0 कुल रकवा 12..70 ए0 के अंदर बहेरा आश्रम की घेराबंदी के अंदर आश्रम का स्कूल छावावास एवं कृषि कार्य किया जाता है । प्लौट नं0 1323 में रकवा 5.60 ए0 चाहरदीवारी के अंदर खेती प्लौट नं0 1323 में रकवा 0.75 ए0 में रास्ता प्लौट नं0 1323 में रकवा 2..95 ए0 एवं प्लौट नं0 1322 रकवा 2..10 ए0 भूमि पर बेहरा आश्रम जय प्रकाश नारायण ऑख अस्पताल निर्मित है । जबकि 5.48 ए0 की ही जमाबंदी कामय है अतिरिक्त भूमि किस आधार पर हासिल है का उल्लेख आवेदक ने अपने आवेदन में किया । मो0 सिकन्दर नवाज खान के द्वारा प्राप्त आवेदन पर नव भारत जागृति केन्द्र (बेहरा आश्रम) के अध्यक्ष एवं सचिव को नोटिस किया गया तथा अंचल अधिकारी,चौपारण से जॉच प्रतिवेदन की भी मॉग की गयी । नव भारत जागृति केन्द्र के अध्यक्ष एवं सचिव न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा । इन्होने अपने कारण पृच्छा में लिखा है कि भूत पूर्व जमीदार राजा बहादुर कमख्या नारायण सिंह के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी को दान में दिया गया तदोपरांत सर्वोदय सहयोग समिति के नाम से जमाबंदी कायम किया गया । खाता नं0 29 प्लौट 1323 रकवा 5.48 ए0 भूमि का जमाबंदी उसी आधार पर हुआ । इतना ही नहीं इसी खाता प्लौट की भूमि पर कई दलित लोगों का भी जमाबंदी किया गया है । नव भारत जागृति केन्द्र को भूमि भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा हासिल किया गया है जो समाज सेवा के उदेश्य से हुआ है । इस संबंध में अंचल अधिकारी,चौपारण ने अपने पत्राक 1218 दिनाक 5.12..16 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है जिसमें इन्होने उल्लेख किया है कि खाता नं0 29 प्लॉट नं0 1341,1322,1323 कमाश रकवा 2.49 ए0,0.20 ए0 एवं 4.51 ए0 कुल रकवा 7.21 एव भूमि सर्वोदय सहयोग समिति बहेरा के नाम से जमाबदी कायम है जो परिवर्तन के लिये प्राधिकार कॉलम में माल निर्धारण केश नं0 3 / 85–86 दिनांक 25.11.85 के आदेशानुसार जमाबंदी कायम की गयी है लगान वसुली जमीदारी उन्मूलन की तिथि से की जायेगी दर्ज है । बहेरा आश्रम का वर्तमान स्वरूप में दखल आश्रम ,स्कूल ,छात्रावास एवं कृषि कार्य तथा घेराबदी के अंतर्गत भूमि अवस्थित है जैसा कि जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है । नव भारत जागृति केन्द्र के सचिव एवं अध्यक्ष के द्वारा अपने दावा में भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति सूचीबद्व दाखिल किया गया है जो अभिलेख में साक्ष्य के रूप मे उपलब्ध है । अभिलेख में उपलब्ध कागजातों ,प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एव इनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिये गये तर्क को सुना तदोपरांत	14/6/17

तारीख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–
	मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि उक्त खाता प्लौट को लेकर पूर्व में भी तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी ,बरही के द्वारा विविध वाद सं0 2/11–12 मे आदेश पारित किया जा चुका है तथा नव भारत जागति केन्द्र के सचिव एव अध्यक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित इस वाद में जो भी कागजात की छायाप्रति दाखिल किये है वह उनकी भूमि पर दावा दखल होने को दर्शाता है जैसा कि पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी ,बरही के द्वारा भी अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है । पूर्व आदेश की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी इस अभिलेख में उपलब्ध है । एक ही भूमि को लेकर पुनः किसी प्रकार का दुसरा आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतएव उपरोक्त परिपेक्ष के आलोक मे आवेदक सिकन्दर नवाज खान ,चौपारण के आवेदन को निरस्त करते हुए वाद की कार्यवाही विना किसी प्रभावी आदेश का समाप्त किया जाता है । लेखापित एवं संशोधित 15/02/17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही (हजारीबाग) 15/02/17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बरही (हजारीबाग)

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2023.02.12 21:36:44 +05:30
Location: 192.168.100.22